खान मंत्रालय

मांग संख्या 65

खान मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	बजट 2008-2009 आयोजना-भिन्न	बजट 2008-2009 जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	संशोधित 2008-2009 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2008-2009 जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़
राजस्व		142.20	245.00	387.20	141.46	349.36	490.82	153.60	398.00	551.60
पूंजी		*51.80*	*...*	*51.80*	*40.80*	*...*	*40.80*	*38.40*	*...*	*38.40*
जोड़		**194.00**	**245.00**	**439.00**	**182.26**	**349.36**	**531.62**	**192.00**	**398.00**	**590.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.12	10.12	...	11.67	11.67	...	14.98	14.98
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	97.00	211.58	308.58	95.65	305.06	400.71	109.00	344.84	453.84
	4853	47.00	...	47.00	36.00	...	36.00	35.00	...	35.00
	जोड़	*144.00*	*211.58*	*355.58*	*131.65*	*305.06*	*436.71*	*144.00*	*344.84*	*488.84*
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	12.00	...	12.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	16.70	17.86	34.56	20.31	26.33	46.64	16.70	30.55	47.25
	4853	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
	जोड़	*17.10*	*17.86*	*34.96*	*20.71*	*26.33*	*47.04*	*17.10*	*30.55*	*47.65*
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	2.01	2.01	...	2.01	2.01	...	1.50	1.50
6. अन्य कार्यक्रम	2853	3.00	3.43	6.43	3.00	4.29	7.29	3.00	6.13	9.13
जोड़ - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		**176.10**	**234.88**	**410.98**	**164.36**	**337.69**	**502.05**	**174.10**	**383.02**	**557.12**
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	14.90	...	14.90
	4552	4.40	...	4.40	4.40	...	4.40	3.00	...	3.00
	जोड़	*17.90*	*...*	*17.90*	*17.90*	*...*	*17.90*	*17.90*	*...*	*17.90*
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***194.00***	***245.00***	***439.00***	***182.26***	***349.36***	***531.62***	***192.00***	***398.00***	***590.00***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
8.01 हिन्दुस्तान कॉपर लि.	12853	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	40.00	40.00
8.02 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	1888.00	1888.00	...	1701.00	1701.00	...	1391.00	1391.00
8.03 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	10.00	10.00
8.04 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	6.82	6.82
जोड़		**...**	**1960.00**	**1960.00**	**...**	**1773.00**	**1773.00**	**...**	**1447.82**	**1447.82**
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	182.10	1960.00	2142.10	167.36	1773.00	1940.36	182.10	1447.82	1629.92
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	17.90	...	17.90	17.90	...	17.90	17.90	...	17.90
जोड़		**200.00**	**1960.00**	**2160.00**	**185.26**	**1773.00**	**1958.26**	**200.00**	**1447.82**	**1647.82**

* *शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय सहित।*

मांग संख्या 101	12853	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00

http://indiabudget.nic.in

1. **सचिवालयः** इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणः** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के लिए अनुदानः** केन्द्र सरकार द्वारा निगम को संवर्धनात्मक आधार पर सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है ।

4. **भारतीय खान ब्यूरोः** इसके अन्तर्गत किए गए प्रावधान में खानों के निरीक्षण और अध्ययन तथा (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के संरक्षण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याओं पर अनुसंधान हेतु भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदानः** यह प्रावधान अनिवार्य सेवाओं और अन्यों आदि के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

6. **अन्य कार्यक्रमः** इनमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आदि के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी और वैज्ञानिक निकायों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधानः** वर्ष के दौरान, इस प्रावधान से निधियों को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो के अन्तर्गत संबंधित स्कीमों में पुनर्विनियोजित किया जायेगा।